न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम०पी० 41/2018 धारा–145 द०प्र०सं०

राखोहरि सिंह वगैरह.....प्रथम पक्ष

बनाम

प्रेमानन्द हजाम वगैरह .....द्वितीय पक्ष

	आदेश
22/09/2020	प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया है कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में दखल–कब्जा को लेकर शांति भंग होने की संभांवना को देखते हुए विवादित भूमि पर द० प्र० सं० की धारा–145 के तहत द्वितीय पक्षों के विरूद्व कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया। उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि विवरणी मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू , थाना संख्या–27 खाता सं० प्लॉट सं० रकवा चौहदी 104 1560 2.40 ए० मध्ये 2.05 ए०, उ0–सोनाहातु रोड द0–प्लॉट संख्या 1558 मालिक पू0–अजित महतो एवं गैरमजरूआ जमीन प0–गैरमजरूआ जमीन प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:– 1. यह है कि वर्णित भूमि आर. एस. खतियान में हरिचरण राए वगैरह, खेंवट संख्या–3 के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशावली निम्न प्रकार है:– हरिचरण राए वो जगरनाथ राए वो छुटु राए हुए। खतियानी रैयत हरिचरण राए एवं छुटु राए की नावल्द मृत हो गया है। खतियानी रैयत जगरनाथ राए के पुत्री लखी प्रिया देवी पति–शंभुनाथ सिंह हुए। लखी प्रिया देवी के पुत्र राखोहरि सिंह वो भुपाल सिंह वो गोपाल चन्द्र सिंह हुए, जो इस वाद में प्रथम पक्षकार है। 2. यह है कि विवादित जमीन को द्वितीय पक्ष ताकत के बल पर जबरजस्ती कब्जा करना चाहते है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष का कभी भी दखल में नहीं है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखल चला आ रहा है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न उल्लेख किये है:– 1. यह है कि वर्णित भूमि आर० एस० खतियान में वकास्त, हरिचरण राए वगैरह, खेंवट संख्या–3 के नाम से दर्ज है।

22/09/2020। 2. यह है कि जमीन्दारी प्रथा उन्मूलन के पूर्व खतियानी रैयत /जमीन्दार हरिचरण राए वगैरह ने सन् 1930 ई० को गौर मोहन हजाम पिता–पिटु हजाम को रैयती बन्दोवस्त कर दिये। प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए। द्वितीय पक्ष के गोपाल हजाम वो प्रेमानन्द हजाम वो दीपक हजाम, गौर मोहन हजाम के वंशज है।

3. यह है कि वर्णित भूमि का हाल सर्वे में बण्डा पर्चा शिवचरण हजाम वगैरह के नाम से बना है।

4. यह है कि दुखहरण हजाम ने मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू के खाता संख्या–104, प्लॉट संख्या–1560, रकवा–2.40 ए0 मध्ये 35 डीसमील (चौहदी, उत्तर–परती कदीम, दक्षिण–मोहन उरांव वगैरह, पूरब–परती कदीम, बिक्रेता दुखहरण हजाम) जमीन को अजित कुमार महतो वो विष्णु चरण महतो को सन् 05/01/1990 ई० को रजिस्ट्री पट्टा बिकी कर दिया है। अजित कुमार महतो वो विष्णु चरण महतो प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज भी कराया, जिसका वाद संख्या–70 आर. 27/99–2000 है। दाखिल–खारिज कराने के बाद सरकार को लगातार मलगुजारी देते आ रहे है।

5. यह है कि पूर्व में भी वाद चला था, जिसका वाद संख्या–एम. पी. 91/2018, धारा–144 था। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथम पक्ष को विवादित जमीन पर जाने से रोक लगाते हुए द्वितीय पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन को दोनों ही पक्ष अपने–अपने कागजातों के आधार पर दावा कर रहे है। उभय पक्ष में विवादित जमीन को लेकर स्वत्व को लेकर विवाद प्रतीत होता है। यह न्यायालय कागजातों की पुष्टि हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है। वाद में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को निरस्त किया जाता है। आहत पक्षकार स्वत्व हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसी निरूपण के साथ अभिलेख की कार्यवाही को बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू(राँची)